

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

आम सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62, 64 तथा 86 के प्रावधानों सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2021, के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) द्वारा वर्ष 2025-26 के टैरिफ के लिये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है। इस याचिका को याचिका क्रमांक 96/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

इस याचिका में (i) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम टू-अप; (ii) वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं पारेषण टैरिफ के निर्धारण का प्रस्ताव सम्मिलित है जिसका सारांश नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

क. वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम टू-अप का सार

क्र.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 14.11.2021 वार्षिक राजस्व आवश्यकता	1186.80
2	टू-अप याचिका में प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	1239.84
3	अंकेक्षित लेखा के अनुसार राजस्व वसूली	1206.85
4	वर्ष 2023-24 हेतु टैरिफ आदेश दिनांक 28.03.2023 के अनुसार कैरिंग कॉस्ट के साथ समायोजित आधिक्य / (घाटा)	(51.24)
5	वर्ष 2023-24 हेतु अंकेक्षित लेखा के अनुसार आधिक्य / (घाटा)	(38.75)
6	वर्ष 2023-24 हेतु अंतिम आधिक्य / (घाटा)	12.49
7	कैरिंग कॉस्ट (@ of 7.85%) के साथ अंतिम आधिक्य / (घाटा)	(40.27)

ख. वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार

क्र.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	कर्मचारी मद में व्यय	317.25
2	ए. एंड जी. खर्च	66.00
3	आर. एंड एम. खर्च	71.30
4	सेवानिवृत्ति लाभ	156.32
5	अवमूल्यन	307.25
6	ब्याज एवं वित्त प्रभार	176.61
7	कार्यकारी पूंजी का ब्याज	23.18
8	अंश पूंजी का प्रतिलाभ	270.19
9	कुल	1388.10
10	घटाइए- अन्य आय	45.48
11	सकल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.)	1342.61

ग. वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार

क्र.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	1342.61
2	वर्ष 2023-24 हेतु कैरिंग कॉस्ट के साथ अंतिम आधिक्य/ (घाटा)	(45.87)
3	वर्ष 2025-26 हेतु समायोजित वार्षिक राजस्व आवश्यकता	1388.48

याचिका अनुसार वर्ष 2023-24 के लिये राजस्व आधिक्य/ (हानि) रुपये (40.27) करोड़ एवं रुपये वर्ष 2025-26 हेतु कैरिंग कॉस्ट के साथ (45.87) करोड़ अनुमानित है। पारेषण कम्पनी द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु 35.40 पैसे/यूनिट STOA Charges प्रस्तावित किया गया है।

कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका की प्रतियाँ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं मुख्य अभियन्ता (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले) छ.ग.राज्य.वि.पारे.कं.मर्या., रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध है। जिन्हें रुपये 100/- के भुगतान कर किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त भुगतान के साथ डाक व्यय हेतु रुपये 50/- के अतिरिक्त भुगतान पर उक्त कार्यालय से डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। यह सूचना एवं याचिका आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं कम्पनी के वेबसाइट www.csptcl.co.in पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त याचिका पर आपत्ति/सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति अपने आपत्ति/सुझाव सचिव छ.ग.राज्य विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर, रायपुर (ई-मेल आईडी cserc.sec.cg@nic.in) एवं/या मुख्य अभियन्ता (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले) छ.ग.राज्य.वि.पारे.कं.मर्या., रायपुर को इस आम सूचना के प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर भेज सकते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित की गई तिथि, समय एवं स्थान पर जन-सुनवाई भी की जावेगी, जिसकी सूचना समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

**कार्यपालक निदेशक (योजना वाणिज्य एवं नियामक मामले),
CSPTCL, डंगनिया, रायपुर**

Chhattisgarh State Power Transmission Company Ltd., Raipur
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

NOTICE

In compliance to the provisions contained in section 62, 64 & 86 of Electricity Act, 2003 read together with CSERC (Multi Year Tariff) Regulations 2021, Chhattisgarh State Power Transmission Company Ltd. (CSPTCL) has filed transmission tariff petition No. **96 of 2024** for FY 2025-26 before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission which comprises: (a) final true-up for FY 2023-24 (b) ARR and transmission tariff for FY 2025-26, which is summarised in the tables given below :-

A. Summary of final true up of FY 2023-24

S.No.	Particulars	Amount (in Rs. Cr.)
1	ARR approved in MYT order dated 14.11.2021	1186.80
2	ARR based on audited accounts	1239.84
3	Revenue as per audited accounts	1206.85
4	Surplus/(Deficit) adjusted with carrying cost up to FY 2023-24 as approved in tariff order dated 28.03.2023	(51.24)
5	Surplus/Deficit for FY 2023-24 as per audited account	(38.75)
6	Stand alone Surplus /(Deficit)	12.49
7	closing Surplus / (deficit) with carrying cost @ of 7.85% for FY 2023-24	(40.27)

B. Summary of Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2025-26

S.No.	Particulars	Amount (in Rs. Cr.)
1	Employee Expenses	317.25
2	A&G Expenses	66.00
3	R&M Expenses	71.30
4	Terminal Benefits	156.32
5	Depreciation	307.25
6	Interest on Loan	176.61
7	Interest on Working capital	23.18
8	Return on Equity	270.19
9	Total	1388.10
10	Less: Non-Tariff Income	45.48
11	Aggregate Revenue Requirement (ARR)	1342.61

C. Summary of proposed ARR for FY 2025-26

S.No.	Particular	Amount (in Rs. Cr.)
1.	ARR proposed for FY 2025-26	1342.61
2.	Adjustment of Surplus of FY 2023-24 after treatment of carrying cost up to FY 2025-26	(45.87)
3.	Adjusted ARR for FY 2025-26	1388.48

As per the petition surplus/ (deficit) of CSPTCL for the FY 2023-24 are estimated at Rs. (40.27) Cr. and Adjustment of Surplus/(Deficit) of FY 2023-24 after treatment of carrying cost up to FY 2025-26 is Rs. (45.87) Cr. CSTPCL has proposed Short Term Open Access (STOA) charges for FY 2025-26 as 35.40 Paise/kWh.

Copies of the tariff petition are available at Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and the office of the Chief Engineer (PC&RA), CSPTCL, Danganiya, Raipur which can be obtained on any working day on payment of Rs.100/- & may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs.50/. Copies of petition are also available at website www.cspc.co.in and www.cserc.gov.in .

Persons intending to file objections / suggestions relating to the above petition may send objections / suggestions directly to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur (e-mail id cserc.sec.cg@nic.in) and/or Chief Engineer (PC&RA), CSPTCL, Danganiya, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspapers.

Executive Director (PC&RA)
CSPTCL: Raipur